कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
E.Mail-eepwdbhatwari @rediffmail.com Fax No-01374-244321

पत्रांक 1100/ 3 -भू0 हस्ता0 दिनांक 08 /07 /2022

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- विषय :- जनपद उत्तरकाशी मे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/ROAD/49632/2020)

सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 57 / 2021 / एफ0सी0 / 352 दि0 13.07.2020

महोदय,

विषयक मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। स्वीकृति की शर्तानुसार विभिन्न धनराशि जमा करने व विभिन्न शर्तो का अनुपालन करने के उपरान्त अनुपालन आख्या निम्न लिखित है :-

Sn.	Conditions	Compliances
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेग।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.25 सिविल सोयम भूमि ग्राम गोरसाड़ा खसरा सं0 1961 रकवा 2.230 है0 तथा ग्राम मट्टी खसरा सं0 3285 रकवा 2.21 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयेक्ता एजेन्सी द्वारा 4.25 है0 गैरवानिकी भूमि के सापेक्ष ग्राम मट्टी मे खसरा सं0–3285 रकवा 2.086 है0 तथा ग्राम गोरसाड़ा में खसरा नं0 1961 रकवा 1.991 है0 भूमि एवं ग्राम मट्टी में खसरा नं0 3284 म0 रकवा 0.173 है0 भूमि, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0 15,76,334.00 धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896149632075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताओं में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0–5050/ग्यारह –विविध/2020–21 दि0 11/05/2022 द्वारा हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतोनी की नकल मूल में संलग्न है)।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(ग) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है।
4-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तमन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रु0 14,14,500.00 की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को ई–चालान द्वारा दि0 25/10/2021 को भुगतान कर दिया गया है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
5-	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दि0 30.10.2002, 01.08.2003; 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रांलय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt. 2) दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दि0 3.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रांक–327/12–1, कोटबंगला दि0 27/07/2021 द्वारा सूचित शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु0 13,96,125.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896149632075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा ई– चालान की छाया प्रति संलग्न)।

प्रेषण लिपिक
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्राप्त किया गया
08/07/22

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 102, Sapling तथा 278 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जायेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ० आर० ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगात पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रु0 14,14,500.00 की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को ई–चालान द्वारा दि0 25/10/2021 को भुगतान कर दिया गया है। (ई–चालान की छाया प्रति संलग्न)।
16	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी काम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लधन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरका/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– 1. जिलाधिकारी का आदेश, मूल खतोनी व सजरा सहित (मूल में)।
2. एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का चालान की छाया प्रति।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो का प्रमाण पत्र मूल में।

भवदीय
8/7/2022
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाडी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1:– अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई–मेल द्वारा)
2:– जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
3:– अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।
4:– वन संरक्षक,भागीरथी वृत्त,मुनि की रेति,ऋशिकेष। (ई–मेल द्वारा)
5:– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,भटवाडी।

8/7/2022
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के पत्र संख्या 53/30का0/3भू0अ0 दिनांक 05 अप्रैल 2022 के द्वारा विकास खण्ड भटवाड़ी में भल्डियाना-लम्बगाँव-उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर-सिल्याण-निरकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि के सापेक्ष तहसील डुण्डा के ग्राम गोरसाडा तथा ग्राम मट्टी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.250 है0 सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी डुण्डा से आख्या प्राप्त की गयी । उप जिलाधिकारी डुण्डा ने नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्या पत्र संख्या 10/ग0का0/क्षति0वृक्षा0भूमि हस्ता0/2022 दिनांक 20 अप्रैल 2022 को संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए अवगत कराया गया कि तहसील डुण्डा के ग्राम मट्टी में खसरा संख्या 3285 रक्वा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाडा में खसरा संख्या 1961 रक्वा 1.991है0 भूमि का सम्पूर्ण रक्वा पूर्व ही जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरित कर दर्ज अभिलेख है। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, डुण्डा/नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्यानुसार मात्र ग्राम मट्टी में उत्तरखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ङ में दर्ज भूमि खसरा संख्या 3284म. रक्वा 0.173 है0 भूमि को उपरोक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसारशासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाडी के अनुरोध पत्र एवं उप जिलाधिकारी, डुण्डा/नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्यानुसार तहसील डुण्डा के ग्राम मट्टी में भल्डियाना-लम्बगाँव-उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर-सिल्याण-निरकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि के सापेक्ष खसरा संख्या 3285 रक्वा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाडा में खसरा संख्या 1961 रक्वा 1.991है0 भूमि कुल रक्वा 4.077 है0 भूमि पूर्व ही वन विभाग के नाम हस्तांतरित है के अतिरिक्त ग्राम मट्टी में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ङ में दर्ज भूमि खसरा संख्या 3284म. रक्वा 0.173 है0 भूमि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0-

दिनांकः- 04/05/2022

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 5050 /ग्यारह-विविध /2020-21 दिनांक 11 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।

2- उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।

3- नायब तहसीलदार, धौन्तरी ।

4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी 12/5/22

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

सेवा में,

नायब तहसीलदार
उप तहसील धौन्तरी।

सेवा में,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

द्वारा उचित माध्यम।

संख्या: 10/र0का0/क्षति0वृक्षा0 भूमि हस्ता0/2022, दिनांक 20 अप्रैल 2022

विषय:– **उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना–लम्बगांव–उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर–सिल्याणा–निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125है0 वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र संख्या 4221/ग्यारह – विविध (2021–22) दिनांक 07 अप्रैल 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0लोक निमार्ण विभाग भटवाड़ी उत्तरकाशी ने मा0 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना – लम्बगांव –उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर –सिल्याण –निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उप तहसील धौन्तरी के ग्राम मटटी में खसरा संख्या 3284 रक्बा 0.173 है0,खसरा संख्या 3285 रक्बा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाडा में खसरा संख्या 1961 रक्बा 1.991है0 कुल 4.250है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर वन विभाग को प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त चिन्हित खसरा नम्बरानो का राजस्व उप निरीक्षक से जांच करवायी गई है।

यह कि राजस्व उप निरीक्षक की जांच आख्या/भू–अभिलेखों के आधार पर ग्राम मटटी में खसरा नम्बर 3285 रक्बा 2.086है0 ग्राम गोरसाडा में खसरा नम्बर 1961म0 रक्बा 1.991है0 भूमि का सम्पूर्ण रक्बा जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित होकर दर्ज अभिलेख है। खतौनी नकल अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः ग्राम मटटी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व का खसरा नम्बर 3284म0 रक्बा 0.173 है0 भूमि जो अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड॰ में दर्ज है भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसको नक्शे पर लाल रोशनाई से प्रदर्शित कर नक्शा/खतौनी नकल संलग्न कर भूमि हस्तांतरण आख्या संस्तुति सहित सेवामें सादर प्रेषित।

संलग्न– नक्शा, खसरा, खतौनी नकल, म0 रा0उ0नि0 की जांच आख्या ...

महोदय,
... की आख्या संस्तुति ... हेतु ... में अग्रसारित।

(हस्ताक्षर) 21/04/2022
नायब तहसीलदार
उप तहसील धौन्तरी।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी उत्तरकाशी

सेवा में

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय

उप-तह- धौंतरी —

विषय — उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में धरासू - गंगोरी(?) - उत्तरकाशी मोटर मार्ग के ...पुर - कियाणा - नियोर(?) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है० भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो० नि० विभाग को हस्तान्तरण

महोदय

उपरोक्त कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं० 4221/ग्यारह-विविध-(2021-22) दिनांक 07 अप्रैल 2021 उपरोक्त विषयक के क्रम में तह-डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम-नही में ख०नं० 3284 रकबा 0.173 है० व 3285 रकबा 2.086 है० तथा ग्राम गोरसाली में ख०नं० 1961 रकबा 1.991 है० कुल 4.250 है० भूमि क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर वन विभाग को हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया है के क्रम में वन विभाग के कार्मिक वन दरोगा जितेन्द्र दास के साथ भू-अभिलेखों के आधार पर मौका पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया ग्राम गोरसाली पर ख०नं० 3285 रकबा 2.086 है० भूमि ख०नं० 1961 के 1.991 व ग्राम नही ख०नं० 3285 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरण का खतौनी में दर्ज अभिलेख है ग्राम नही में ख०नं० 3284 मा. खतौनी ... कालम ... वर्ग 1(ग) NON Z.A के रकबा 0.173 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ... है जिसको मौके पर वन कार्मिक स्थान ... 22 में दर्ज अभिलेख है जिसको मौके पर वन कार्मिक जितेन्द्र दास को बताया गया है।

अतः ख०नं० 3284 रकबा 0.173 है० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की है को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरण बावत संस्तुति सहित रिपोर्ट मय नक्शा खतौनी संलग्न कर प्रेषित

ह०
रा० उ० नि०
...
19/04/2022

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण / हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित

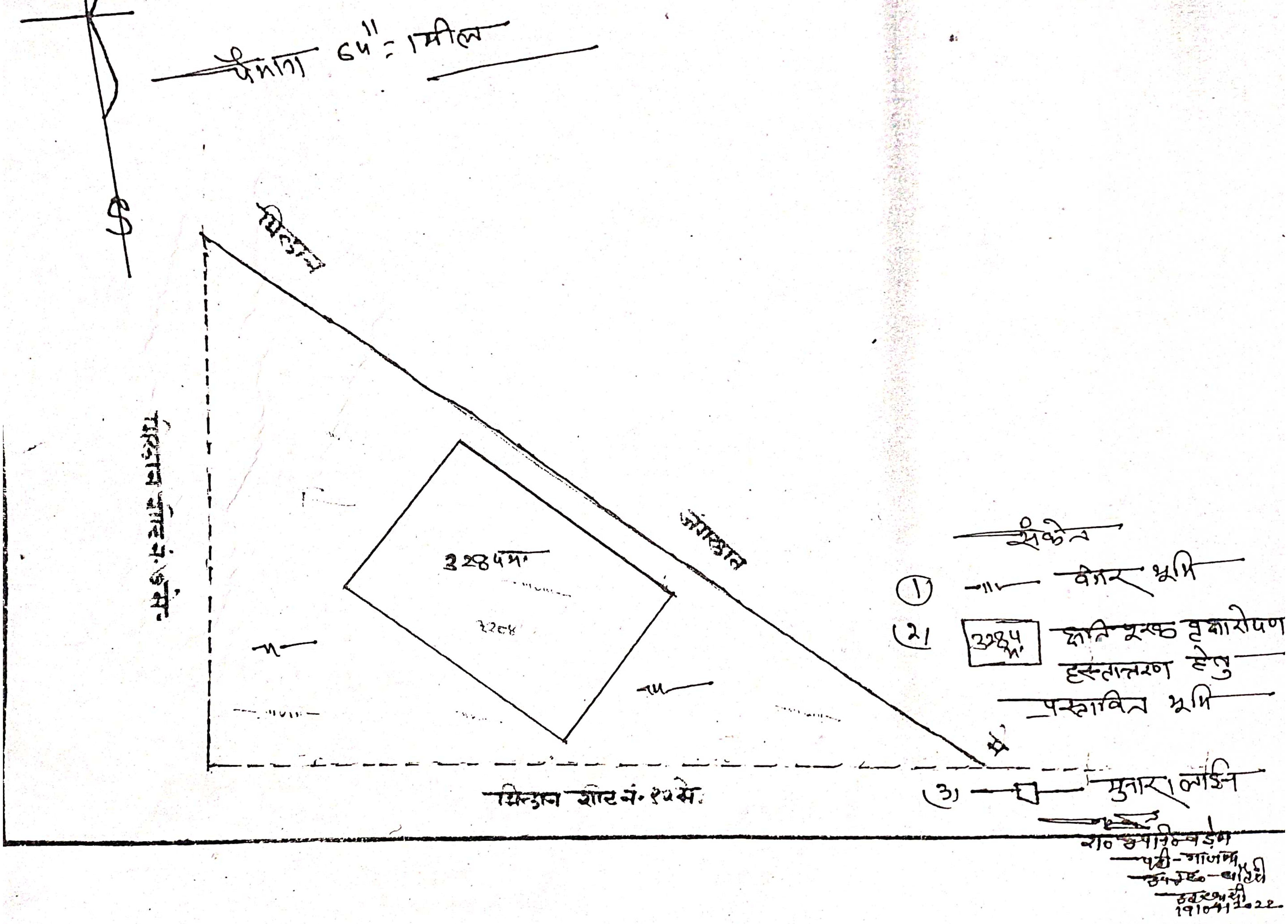

27	उत्तराखण्ड सरकार	2	0.038		2445	0.070
	वर्ग 1(3) ड	4	0.004		do	do
	do	नु.पा.	0.045		2528	0.010
		do	do		do	do
		do	do		2647	0.023
		40 पा	0.241		do	do
		do	do		3099	0.023
		160	0.008		3100	0.070
		do	do		do	do
		262	0.049		3209	0.256
		do	do		do	do
		395	0.019	तत्कालिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश R.49 पी.सी./2013 दिनांक 8 जनवरी 2013 में भूमि	3285	2.086
		do	do	ग्राम खारी के नये खसरा नं. 3285 रकबा 2.086 हे.	3288	0.010
		629	0.619	लोक निर्माण विभाग के नाम स्थानान्तरण आदेश दर्ज किया।	do	do
		do	do	ह० अस्पष्ट रा० उ०नि० [illegible] (उत्तरकाशी)	3312	0.080
		1226	0.025		do	do
		do	do		67/2402	0.018
		1939	0.030	सम्पूर्ण योग-	369	60.073
		do	do	उपरोक्त नकल [illegible] अक्षरशः [illegible] की गई		
		2094	0.093			
		do	do			
		2316	0.39	फोटो प्रति सत्यापित		
		do	do	सहायक अभियन्ता		

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

[illegible] पद- [illegible] उ0र0का0 [illegible] (उत्तरकाशी) 19/04/2022

मूलेख प्रपत्र सं0 प-11 ... [illegible]

22.	उत्तराखण्ड सरकार	3	0.018	
	श्रेणी 9(3) ड	31	0.176	
	,,	,,	,,	
		149	0.016	
		,,	,,	
		1013	0.029	
		,,	,,	
		1550	0.014	
		,,	,,	
		1753	0.034	
		,,	,,	
		1898	0.023	
		1911	1.000	
		1926मि.	0.200	
		,,	,,	
		,,	,,	मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उ० काशी के आदेश [illegible]
		1961मि.	1.991	[illegible] रकबा 1.991 है० भूमि [illegible]
		1963	0.647	[illegible] अंकित किया।
		,,	,,	ह० अस्पष्ट [illegible]
		2147	0.051	
		,,	,,	
		2180मि.	7.591	उद्धरण [illegible] [illegible] की गई।
	योग	130	15.347	[illegible] पद [illegible] उ० काशी 28.04.2022

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

CTS CHALLAN for CAMPA Funds

	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
	6149632075
No.	8B/UCP/06/57/2021/FC
	UTTARANCHAL
	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi(Uttarkashi)
s)	2972459/-

...rds: Twenty-Nine Lakh Seventy-Two Thousand ...nd Fifty-Nine Rupees Only

...SS to be made as per following

Name:	UTTARANCHAL CAMPA
	UBIN0903710
ount No.	150896149632075 Valid only for this challan amount.
e &	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

...hallan is strictly to be used for making ...nt to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 11-10-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION P.WD BHATWARI
Application No.	6149632075
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/57/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi Uttarkashi
Amount(in Rs)	2972459/-

Amount In Words: Twenty-Nine Lakh Seventy-Two Thousand Four Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896149632075 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

...ng successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through ...pdeskcampa@corpbank.co.in

...making the required payment through challan, if the payment status has not been updated ...7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to ...371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Bhatwari, Uttarkashi

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

...NEFT RTGS CHALLAN.html

Bill Type : Normal

[illegible]

1	0	3
4	1	0	2
2	6	2
0		

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

4	2	2	9

14- [illegible] कोड :

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो) [illegible]

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	7865623	5371216	2494407

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	29,72,459
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	29,72,459

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	29,72,459

[illegible] किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएं [illegible] के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के प्रपत्रों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के प्रकरणों में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

[illegible] रू० 29,72,459 (Rupees Twenty Nine Lacs Seventy Two Thousand Four Hundred Fifty Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

[illegible] नं० :

[illegible] धनराशि रू० 29,72,459

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1.	OP4102422910211000 Mr Uttarnchal Camya	Saving	UBIN0903710	150096149632075	2972459	0	0	2972459
					2972459	0	0	2972459

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

10/25/2021, 5:12 PM

V-A/10 (81) 03/1/2015 Bill Type : Normal

[illegible]-10-2021

[illegible]

5	0	5	4	0	1	1	3	7	0	3	0	4	7	4

4	2	2	9

14- स्रोत कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
[illegible]	7865623	2398757	5466866

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	14,14,500
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	14,14,500

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
8443001090100-	14,14,500
77- सम्पूर्ण कटौतियां	14,14,500
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	-

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रु०	अभ्युक्ति
		14,14,500	
1	4100//8443001090100 Forest Division Uttarkashi	14,14,500	
66- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद		14,14,500	
77- सम्पूर्ण कटौतियां		-	
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77			

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। समस्त नियमों एवं आदेशों की समस्त अपेक्षाएँ पूरी कर ली गयी हैं एवं देयक [illegible] प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के विवरणों की प्रविष्टि स्वीकार की जाती है।

आहरण/वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (केवल कॉन्ट्रैक्टिंग कटौतियों के प्रकरण में ही आवश्यक होगा)

कोषागार/उपकोषागार के प्रयोग हेतु

धनराशि रु० : (Rupees Nil Only) भुगतान हेतु पारित

सकल देयक रु० 14,14,500

कुल धनराशि रु० 14,14,500

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

फोटोप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

10/25/2021 5:10 PM

E-CHALLAN

Treasury Form 209(1)
Financial Handbook Vol. V Part - II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 470)
Challan form for depositing amount

...o Treasury / Sub - Treasury / Bank / Bank Branch Bhatwari

...f the person (designation if necessary or ...zation on whose behalf amount is being ...	Executive Engineer PD PWD Bhatwari
...ss	Bhatwari
...ation Number (if necessary)	
...etails of amount to be deposited (for ... purpose and in favour of)	TRANSFER
...value of challan	1414500
...ce of challan	0
...etails of Head of Account (Transfer From)	505404337030454
...git code of Head of A/C	As per details below

	Services	Detail Head	Amount
	5047-Forest Division Uttarkashi	8443001090100	1414500
	Total Amount		1414500

Allotment ID :WH4102422910211000

...umber B50540112

...ate 28/10/2021

...mount

...words Rupees Fourteen Lacs Fourteen Thousand Five Hundred Only

CTO/Sr. TO /STO Signature

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी, कैम्प उत्तरकाशी

Print Date : 25-Oct-2021